

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2019- सीमा शुल्क (सीवीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सक्करीन, अपने सभी रूपों में" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2925 11 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 6/8/2018-डीजीएडी, दिनांक 19 जून, 2019, के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि

- (i) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां इन आर्थिक सहायता प्राप्त उत्पादों की भरमार हो गई।
- (ii) प्रश्नगत उत्पादों को आर्थिक सहायता मिलने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु पर, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है और वहां से निर्यातित है, कॉलम (5) तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाती है, यथा -

#### शुल्क सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादक/निर्यातक का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2925 11 00	सक्करीन, अपने सभी रूपों में	चीन	कोई भी	20

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए,

(1) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत यथानिर्धारित आंकलन योग्य मूल्य से है।

[फाइल संख्या 354/61/2019 – टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार